<u>प्रैस नोट</u>

<u>दिनांक- 10.02.2021</u>

<u>25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित कुख्यात गौकश आबाद मुठभेड़ के उपरांत थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा घायलावस्था में गिरफ्तार, 01 बाइक, अवैध असलाह मय कारतूस बरामद।</u>

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार जनपद में चलाये जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री संग्राम सिंह के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 09.02.2021 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्री विवेक शर्मा व प्रभारी निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली देहात श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा मय पुलिस टीम के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों में मामूर थे तथा जब चोला मोड़ पर बैरियर डालकर चैकिंग कर रहे थे तभी ठण्डी प्लाऊ की तरफ से मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो अभियुक्त पुलिस टीम पर फायर करके मोटरसाईकल को चोला चौकी वाले रास्ते पर मोड़कर भागने लगा जिसका पीछा पुलिस टीम द्वारा किया गया। अभियुक्त द्वारा सामने से चोला चौकी की गाड़ी आती देखकर मोटरसाईकिल को बूचानगर मोड़ नैथला गांव बम्बे के पास तेजी से मोड़कर भागने का प्रयास किया गया तभी उसकी मोटरसाईकिल असन्तुलित होकर गिर गयी । बदमाश द्वारा अपने आपको घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किए गए, जिसमे बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जिसको समय करीब रात्रि 21.35 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान आबाद पुत्र सरदार उर्फ गुंगा निवासी गिनौरा शेख थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर के रूप में हुई । घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर भेजा गया । मौके से अवैध असलहा मय कारतूस, एक मोटरसाईकिल बरामद व दो मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के बरामद किये गये ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

आबाद पुत्र सरदार उर्फ गुंगा निवासी गिनौरा शेख थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी-</u>

1- 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस, 02 जिंदा कारतूस

2- 02 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के

3- 01 हीरो सुपर स्पलैण्डर मोटरसाईकिल रंग काला नं0 UP-13AY-0411

गिरफ्तार अभियुक्त आबाद शातिर किस्म का गौकश है जो थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुअसं-491/20 दारा 3/5/8 गौवध अधि0 में दिनांक 11.06.20 से वांछित चल रहा था जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। उक्त अभियोग में अन्य 06 अभियुक्त बिलाल, शमशाद, मुबीन, नबाब कुरैशी, हसरत और शौकत बिलौच को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त आबाद के विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत है-

<u>अभियुक्त आबाद का आपराधिक इतिहास-</u>

1- मुअसं-247/2020 धारा 332/353/224/225/307 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

2- मुअसं-491/2020 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

3- मुअसं-107/2021 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड़) थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

4- मुअसं-108/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-107/2021 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड़) व मु0अ0सं0-108/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-</u>

1- श्री विवेक शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात

2- श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली देहात

3- उ0नि0 संदीप तोमर, है0का0 सुधीर अहलावत, का0 आशीष, का0 कुलदीप राठी, का0 प्रदीप कुमार, का0 अंकित राठी, का0 विक्रांत तोमर, का0 चन्द्रवीर, है0का0 चालक राम कुमार, का0 चालक ललित शर्मा